

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़, उज्जैन 456010 (म.प्र.)

बी.एम.सी. दुग्ध परिवहन ई-निविदा सूचना

क्रमांक / उ.दु.सं. / क्षे.सं. / परिवहन ई-निविदा / 2020 / 195 / 20.02.2020

ई-निविदा खुलने की दिनांक 17.03.2020 तक ऑनलाईन वेब साईड <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

निविदा संबंधि विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु www.mpcdf.nic.in पर लॉगआन करें। Digital Signature हेतु मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रानिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल से टोल फ्री नम्बर 18002745454 / 18002748484 पर सम्पर्क करें।

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मक्सी रोड़ उज्जैन – 456001 (म.प्र.)

फोन नं. : (0734) 2527061, 2527068, 2527066

फेक्स नं. 0734-2527063

E-mail : udsmis@yahoo.com, fo_uds@sanchidairy.com

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
मकसी रोड़ उज्जैन 456001 (म.प्र.)
फोन नं. (0734) 2527061, 2527068, 2527066
फेक्स नं. 0734-2527063

E-Mail: udsmis@yahoo.com, fo_uds@sanchidairy.com

क्रमांक / उ.दु.सं. / क्षे.सं. / ई-निविदा / 2020 / 195 / 20.02.2020

बी.एम.सी. दुग्ध परिवहन ई-निविदा सूचना

Tender ID:- 2020_MPCDF_81220_1

1.	निविदा कार्य- बीएमसी परिवहन कार्य वर्ष 2020-22 बाबत	
2.	ई-निविदा प्रपत्र का क्रय मूल्य	राशि रु. 500/- (अक्षरी रु. पाँच सौ मात्र)
3.	अमानत राशि	राशि रु. 10,000.00 (अक्षरी रु. दस हजार मात्र) ऑनलाईन द्वारा भुगतान करना है।
4.	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ दिनांक एवं समय	दिनांक 24.02.2020 प्रातः 11:00 बजे से
5.	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की अंतिम दिनांक एवं समय	दिनांक 14.03.2020 दोपहर 1:00 बजे तक
6.	ई-निविदा भौतिक रूप से जमा करने की दिनांक एवं समय	दिनांक 16.03.2020 दोपहर: 12:30 बजे तक
7.	तकनिकी बीड भौतिक एवं ऑनलाईन रूप से खोलने की दिनांक एवं समय	दिनांक 16.03.2020 दोपहर: 1:00 बजे
8.	वित्तीय बीड (प्राइज बीज) खोलने की दिनांक एवं समय	दिनांक 17.03.2020 दोपहर 1:30 बजे
9.	निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मकसी रोड़ उज्जैन- 456001(म.प्र.)

- नोट :-** 1. ई- निविदा ऑनलाईन वेब साईड <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।
2. निविदा संबंधि विस्तृत शर्तें एवं अन्य जानकारी हेतु www.mpcdf.nic.in पर लॉगआन करें।
Digital Signature हेतु मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड भोपाल से टोल फ्री नम्बर 18002745454 / 18002748484 पर सम्पर्क करें।
3. जिन वाहन स्वामी के पास वाहन मॉडल 2016 या बाद के है वे वाहन स्वामी निविदा में भाग ले सकते है, साथ ही वाहन ठेकेदारों के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं वे वाहन क्रय करने का नोटरी से 100 रु. के मूल शपथ पत्र निविदा के साथ संलग्न करें।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास बिना कोई कारण बताएँ निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

बी.एम.सी. परिवहन हेतु ई-निविदा प्रस्तुत करने बाबद निर्देश

- 01.(अ) प्रत्येक निविदा के साथ ई.एम.डी. रूपये 10000.00 (दस हजार रूपये) ऑनलाईन करें तथा उसकी प्रति एक लिफाफा "A" जो कि लगभग 12cm x 27cm साइज के लिफाफे में रखकर सील बंद करना है। इस लिफाफे के ऊपर निविदा हेतु सुरक्षा राशि तथा निविदाकार का नाम, पता, मोबाईल नं. एवं मार्ग का नाम स्पष्ट अनिवार्यतः रूप से अंकित किया जावे। दिनांक 12.03.2020 को सुबह 11.00 बजे तक निविदा खोलने के पूर्व कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। जमा ई.एम.डी. राशि रु. 10,000.00 की ऑनलाईन की छायाप्रति निविदा भरते समय अपलोड किया जाना अनिवार्य है। बिना ई.एम.डी. जमा के प्रस्ताव को निरस्त (अमान्य) माना जावेगा।
- (ब) निविदा संबंधी तकनीकी दस्तावेजों की स्वयं सत्यापित प्रतियों का दूसरा लिफाफा "B" जो कि लगभग 25cm x 30cm साइज का हो, में रखकर लिफाफे को सील बंद करना है। इस लिफाफे पर तकनीकी निविदा तथा निविदाकार का नाम, पता, मोबाइल नं. एवं मार्ग का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करना अनिवार्य रहेगा। उक्तानुसार तैयार किये गये दोनो लिफाफे = A एवं B लिफाफों को "C" लिफाफा जो कि लगभग 25cm x 35cm साइज का हो रखकर सील बंद किया जाना है। इस लिफाफे पर टैंकर से दुग्ध परिवहन कार्य हेतु निविदा संदर्भ No: /USDS/GMFO/195 Dt. 20-02-2020 तथा निविदाकार का नाम व पूर्ण पता स्पष्ट रूप से अंकित करें, यदि निविदाकार की मोहर उपलब्ध हो तो मोहर भी लगावे। इस लिफाफे को दिनांक 16.03.2020 को सुबह 12.30 बजे तक अनिवार्य रूप से संघ कार्यालय में प्राप्त हो जाना अनिवार्य है तथा दरें ऑनलाईन ही मान्य की जावेगी।
- (अ) निविदाकार को निर्धारित प्राइज बिड में दर प्रस्तुत करना होगी।
- (ब) निविदा डबल निविदा पद्धति (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा) बंद के आधार पर बुलाई जा रही है।
- (स) निविदा में भाग लेने हेतु निविदा प्रपत्र रु. 500.00 (पांच सौ) ऑनलाईन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
02. प्रत्येक बी.एम.सी. परिवहन मार्ग तथा वाहन के लिए अलग-अलग निविदा एवं ऑनलाईन ई.एम.डी. भुगतान की प्रति प्रस्तुत करना होगी।
03. निविदा में उल्लेखित दर में समस्त व्यय सम्मिलित किये जावेंगे, निविदा की दर स्पष्ट शब्दों एवं अंकों में अलग-अलग प्रति किलोमीटर लिखी जावे। किसी शर्त वाली निविदा को मान्य नहीं किया जावेगा।

04. किसी फर्म द्वारा निविदा प्रस्तुत करने पर वह फर्म भागीदारी कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिये, इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। फर्म के सभी भागीदारों के हस्ताक्षर होंगे, यदि किसी एक द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है, तो निविदा के साथ मुख्यारनामा की फोटो कॉपी संलग्न करना अनिवार्य है।
05. निविदा अस्वीकृत होने पर ई.एम.डी की राशि चार माह में वापस लौटा दी जावेगी, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
06. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को संघ द्वारा निर्धारित दिन एवं समय पर अनुबंध **रु. 1000.00 (एक हजार रु. मात्र)** के नॉनज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर एवं वाटर मार्क पेपर पर टाईप करवाकर, नोटरी करवाकर अनुबंध पर स्वयं के फोटो सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा, निर्धारित समयावधि में अनुबंध संपादित नहीं किया जाता है, तो निविदा निरस्त कर दी जावेगी, तथा ई.एम.डी राशि राजसात कर ली जावेगी। अनुबंधकर्ता को निर्धारित दिन एवं समय पर निर्धारित अमानत राशि डिमांड ड्राफ्ट, जो उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन के नाम से एवं उज्जैन में देय हो, जमा करना होगी। निर्धारित समयावधि में पूर्ण अमानत राशि जमा न करने की दशा में निविदा निरस्त कर दी जावेगी, साथ ही संपूर्ण ई.एम.डी राशि जप्त कर ली जावेगी।
07. अमानत राशि निम्नानुसार निर्धारित की गई है ।
 - (अ) इन्सुलेटेड मिल्क टैंकर 709, 5000 लीटर दूध क्षमता रुपये 2,00,000.00
 - (ब) इन्सुलेटेड मिल्क टैंकर 909, 6000 लीटर दूध क्षमता रुपये 2,25,000.00
 - (स) इन्सुलेटेड मिल्क टैंकर 1109, 7500 लीटर दूध क्षमता रुपये 2,50,000.00
 - (द) इन्सुलेटेड मिल्क टैंकर 1612, 1613, 9000 लीटर दूध क्षमता रुपये 3,00,000.00
 - (इ) इन्सुलेटेड मिल्क टैंकर 2213, 13000 लीटर दूध क्षमता रुपये 3,50,000.00
08. ई.एम.डी. एवं अमानत राशि पर संघ द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जावेगा।
09. संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर वाहन को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।
10. पृथक-पृथक मार्ग पर एक ही वाहन क्रमांक की निविदा प्राप्त होने पर तथा स्वीकृत होने पर संघ को यह अधिकार होगा कि वह जिस मार्ग की निविदा अनुमोदि करें, उसे प्रस्तुतकर्ता को मान्य करना होगा।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी को यह अधिकार होगा कि, बिना कारण बताये किसी भी निविदा या समस्त निविदाओं को अमान्य कर निरस्त कर दें और निगोशिएशन के आधार पर अंतिम निर्णय करें।

12. निविदा स्पष्ट/पूर्ण भरी होना चाहिए । अस्पष्ट, कटी-फटी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार संघ को होगा ।
13. निविदाकार को अपने निजी वाहन के उपयोग हेतु ही निविदा प्रस्तुत करना होगी, निविदा के साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन की फोटो कॉपी तथा स्थाई लेखा संख्या (पैन नम्बर) संलग्न करना होगी तथा निविदा स्वीकृत होने पर मूल पंजीयक प्रमाण-पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने होंगे ।
14. निविदा स्वीकृत होने पर निविदा प्रस्तुतकर्ता को अपना वाहन निरीक्षण हेतु निर्धारित दिनांक एवं समय पर लाना होगा ।
15. निविदा प्रस्तुतकर्ता यदि जानबूझकर निविदा प्रपत्र में गलत जानकारी देता है, तो संघ को यह अधिकार होगा कि जमा ई.एम.डी. राशि जप्त कर लें ।
16. उज्जैन दुग्ध संघ में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी/संचालक मण्डल के सदस्यों के सगे संबंधी जैसे पति, पत्नी, पुत्र, पुत्री, पिता, सगे भाई, बहन अथवा निकट के रिश्तेदारों को निविदा में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी । वाहन ठेकेदार को इस बाबत पृथक से शपथ पत्र अनुबंध के साथ प्रस्तुत करना होगा ।
17. अनुबंधित वाहन में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा । ईंधन के रूप में अन्य कोई (घासलेट, मिलावट डीजल या गैस) उपयोग वर्जित माना जावेगा ।
18. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाइसेन्स प्राप्त करने का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा । उसकी छायाप्रति दुग्ध संघ कार्यालय में प्रस्तुत करना होगी ।
19. समस्त न्यायालयीन कार्य का कार्यक्षेत्र उज्जैन ही रहेगा ।
20. वर्ष 2016 या उसके बाद के पंजीकृत टैंकरो हेतु निविदा प्रस्तुत की जावे ।
21. जिन वाहन/वाहन ठेकेदारों को म.प्र. के किसी भी दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में दर्ज किया गया है, उनकी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं उनकी निविदा तकनीकी बिड में ही सीधे निरस्त कर दी जावेगी ।
22. निविदाकार द्वारा यदि अत्यधिक कम (अव्यवहारिक दरें प्राप्त होने की स्थिति में) दरें दी गई हैं तो वह मान्य नहीं होगी तथा निविदा निरस्त की जावेगी । जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदाकार की होगी ।
23. यदि पूर्व में किसी वाहन ठेकेदार को प्रतिबंधित (ब्लैक लिस्टेड) किया गया है, तो वह निविदा नहीं भर सकता यदि उसके द्वारा निविदा प्रस्तुत की गई है तो उस पर विचार नहीं किया जावेगा, एवं जमा ई.एम.डी.राजसात की जायेगी ।

24. प्रथम पक्ष द्वारा बी.एम.सी. मिल्क टैंकर वाहनों पर **GPS System** लगवाना आवश्यक होगा, साथ ही इसका मासिक एवं रखरखाव का व्यय प्रथम पक्ष को वहन करना होगा, यदि प्रथम पक्ष द्वारा **GPS System** नहीं लगवाया जाता है तो द्वितीय पक्ष द्वारा **GPS System** लगवाया जावेगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से कटौती किया जावेगा।
25. यह ठेका अवधि अर्थात् दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2022 तक की होगी, कार्य संतोषजनक होने पर जिसे आपसी सहमति से दो वर्ष एक-एक वर्ष करके बढ़ाया जा सकेगा।
26. टैंकर के ढक्कन के अन्दर भी गन सील लगाने की व्यवस्था की जावे एवं ढक्कन के Hinge में भी सेंसर लगाये जाने की व्यवस्था प्रथम पक्ष द्वारा की जायेगी।
27. यह कि दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा समय पर दी जाने वाली सूचनाएँ लिखवाना होगी एवं पत्र पेट्री अपनी ओर से लगवाना होगी तथा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना आवश्यक होगा।
 1. टैंकर के पीछे दूध विक्रय हेतु नहीं है।
 2. टैंकर के दोनो ओर इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुये देखा जायें तो कृपया मोबाइल नम्बर 7974010355, 9009076375 एवं पर सूचित करने का कष्ट करें।
28. निविदाकार के स्वयं के (म.प्र. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 2आई के अनुसार) स्वयं के नाम से टैंकर पंजीयन होना अनिवार्य है। वाहन के प्रपत्र जिसका मूल दस्तावेज से परीक्षण किया जावेगा, प्रस्तुत नहीं किये जाने पर निविदा की दर हेतु प्रस्तुत तकनीकी भाग नहीं खोला जावेगा तथा ऐसी प्राप्त निविदाओं को निरस्त किया जावेगा।
29. यह कि संघ द्वारा पूर्व में यदि परिवहनकर्ता को सेवा एवं कार्य अभिलेखों के अनुसार असंतोषजनक पाये जाने पर निविदा अवधि पूर्व हटाया गया है तो ऐसे परिवहनकर्ता निविदा में भाग लेने के लिए अपात्र होंगे।
30. निविदाकार द्वारा यदि निविदा में कोई शर्त लगाई जाती है तो ऐसी दशा में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
31. न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार द्वारा संघ द्वारा वांछित टैंकर उपलब्ध न कराने की दशा में प्राप्त न्यूनतम दर को आधार मानते हुये अन्य समस्त निविदाकारों से सहमति प्राप्त की जायेगी।

बी.एम.सी. ई-निविदा परिवहन हेतु इन्सुलेटेड मिल्क टैंकर अनुबंध पत्र

अनुबंध पत्र

यह अनुबंध पत्र आज दिनांक ----- को लिखा गया, जिसका द्वितीय पक्ष उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन एवं प्रथम पक्ष श्री/श्रीमती ----- निवासी ----- एवं उत्तराधिकारी श्री/श्रीमती ----- से है ।

संविदाकार उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में दुग्ध सहकारी समितियों से जहां बल्क मिल्क कुलर स्थापित है वहां से डेयरी संयंत्र ----- तक दुग्ध संकलन पहुंचाने हेतु इन्सुलेटेड मिल्क टैंकर द्वारा दुग्ध परिवहन करने वाले अपने निजी वाहन ----- द्वारा बी.एम.सी. परिवहन मार्ग ----- निर्देशित समय पर टैंकर से दुग्ध परिवहन हेतु आवेदन किया है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जिसमें आगे लिखे गये अनुबंधों एवं शर्तों पर संविदाकार का आवेदन परिवहन दर रु.----- अक्षरी रूपये ----- प्रति कि.मी./प्रतिदिन पर स्वीकार किया है।

अतएव यह अनुबंध पत्र इस बात का साक्षी है एवं एतद् द्वारा मार्ग ----- एवं दर रु.----- अक्षरी रूपये ----- प्रति कि.मी. पर अग्रलिखित समस्त शर्तों के अनुसार अनुबंध किया जाता है। अनुबंधकर्ता को अनुबंध पत्र पर स्वयं के पासपोर्ट साईज का फोटो सहित नोटरी करवाकर प्रस्तुत करना होगा एवं यह शर्त उभय पक्षों को मान्य है। दुग्ध संकलन मार्गों पर भविष्य में यदि टोल टेक्स प्रारंभ होता है तो टोल टेक्स की वास्तविक रसीदों की प्राप्ति पर संघ द्वारा अतिरिक्त भुगतान देयकों के साथ किया जावेगा।

01. यह ठेका अवधि दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2022 तक प्रभावशील रहेगी, परंतु प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष की सहमति से यह अनुबंध अवधि एक वर्ष अवधि में बढ़ाने का अधिकार रहेगा साथ ही अनुबंध अवधि समाप्ति के पश्चात 03 माह अतिरिक्त और बढ़ाने का अधिकार संघ के पास सुरक्षित रहेगा। ठेके की शर्तों तथा शासकीय अधिनियमों/नियमों की अवेहलना करने पर ठेके की अवधि में किसी भी समय ठेका निरस्त कर जमा की गई अमानत राशि राजसात करने का सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।
02. प्रतिदिन दुग्ध समितियों (बल्क मिल्क कूलर वाली) में संकलित दूध को दूध संयंत्र/दुग्ध शीत केन्द्र----- तक परिवहन की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी। इस हेतु द्वितीय पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार निर्देश दिये जावेंगे। निर्देशानुसार समस्त दुग्ध समितियों का दूध (क्षमता अनुसार) लाना होगा, यदि एक बार में समस्त संकलित दूध नहीं आ सकें तो एक से अधिक बार दुग्ध संकलन हेतु आना जाना होगा।
03. यह कि दुग्ध समितियों से दुग्ध संयंत्र तक की दूरी का सत्यापन लांजीट्यूट लेटीट्यूट के आधार पर किया जावेगा एवं तदनुसार ही भुगतान किया जावेगा।

04. यह कि दुग्ध परिवहन हेतु टैंकर बैरल एस.एस. 304 इन्सुलेटेड होना आवश्यक है। इन्सुलेशन की जांच दुग्ध संघ के तकनीकी अधिकारी द्वारा की जायेगी।
05. यह कि टैंकर का वाल्व लीकेज नहीं होना चाहिए, लीकेज होने की दशा में होने वाली दूध की हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से कटौती की जावेगी। टैंकर में वाल्व बाक्स होना अनिवार्य है, साथ ही टैंकर मेनहोल के ढक्कन के ऊपर कवर ढक्कन संघ द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार होना अनिवार्य होगा, जिसमें कोई भी कमी होने से संबंधित टैंकर को कार्य से पृथक कर दिया जावेगा।
06. प्रथम पक्ष द्वारा समितियों को दिये जाने वाले सामान जैसे मिनरल मिक्सचर, टेस्टिंग सामान, एवं स्टेशनरी सामान ले जाना होगा एवं इसका लेखा-जोखा प्रथम पक्ष को रखना होगा। संघ से भेजे गये सामान को समिति को देकर प्राप्ति रसीद संघ कार्यालय में जमा करना होगी। समिति को भेजा गया सामान प्राप्त न होने पर उस सामान की राशि का कटौती प्रथम पक्ष के देयक से किया जावेगा।
07. यह कि यदि किसी कारण से संकलन बंद रखा जाता है एवं इसकी सूचना दी जाती है तो प्रथम पक्ष को उन दिनों का कोई भाड़ा देय नहीं होगा।
08. यह कि निर्देशित समय पर संस्थाओं का संकलित दूध डेरी संयंत्र तक लाने की पूरी जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी, किसी भी कारण से वाहन खराब होने पर दूसरे वाहन की व्यवस्था प्रथम पक्ष को करना होगी, डेरी संयंत्र पर दूध नहीं पहुंचने की स्थिति में दूध खराब होने पर जो हानि होगी वह प्रथम पक्ष से वसूल की जावेगी। यदि प्रथम पक्ष द्वारा संकलन हेतु वाहन नहीं भेजा जाता है एवं द्वितीय पक्ष द्वारा व्यवस्था कर वाहन भेजा जाता है एवं इसमें संघ को जो भी अतिरिक्त राशि देना पड़ेगी वह राशि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक/अमानत राशि में से काटी जावेगी।
09. प्राकृतिक प्रकोप अथवा मानवीय कृत्यों जिनके लिये स्वयं प्रथम पक्ष अथवा उनके प्रतिनिधि या उनकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति जिम्मेदार हो, को छोड़कर जो प्रथम पक्ष के काबू के बाहर हो, जैसे कारणों को छोड़कर वाहन के निश्चित समय पर नहीं आने की दशा में खराब होने वाले दुग्ध की हानि को जो खट्टा होने पर 50 प्रतिशत एवं फट्टा होने पर 70 प्रतिशत मूल्य का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा। उपरोक्त राशि उसी समय के देयक से काट ली जावेगी।
10. क्रमांक 9 में उल्लेखित प्राकृतिक प्रकोप/प्रथम पक्ष के काबू के बाहर के मानवीय कृत्य, कृत्यों का पंचनामा बनाकर प्रथम पक्ष द्वारा उसी पाली में कार्यालय में प्रस्तुत किया जावेगा। इसके सत्यापन होने पर कार्यालयीन कार्यवाही के उपरांत काटी गई राशि प्रथम पक्ष को वापिस की जा सकेगी। परिवहन के दौरान प्राकृतिक कारणों तथा अन्य किसी कारणों से हुये मार्ग अवरोध की दशा में परिवहनकर्ता की जिम्मेदारी होगी की वह संबंधित शासकीय अधिकारी से उसका प्रमाण पत्र प्राप्त करें तथा संघ में प्रस्तुत करें तथा संघ के निर्देश अनुसार दूध को समय पर डेयरी प्लांट में पहुंचाएं अथवा प्राप्तकर्ता डेयरी तक पहुंचाएं या तत्कालिन स्थिति पर निर्भर करेगा।
11. एक्सीडेंट या अन्य परिस्थितियों में ठेके के अंतर्गत कार्यरत टैंकर या उसमें परिवहन की जाने वाली सामग्री अगर पुलिस द्वारा जप्त की जाती है, तथा दूध की नुकसानी होती है, तो ऐसी स्थिति में होने वाले नुकसान की पूर्ण जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं ऐसे नुकसान का कटौती प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से किया जावेगा।

12. टैंकर हेतु डीजल की व्यवस्था का उत्तरदायित्व पूर्णतः प्रथम पक्ष का रहेगा यदि डीजल के अभाव में दुग्ध संकलन परिवहन हेतु टैंकर नहीं भेजा जाता है, तो इससे समिति/संघ को होने वाली सम्पूर्ण हानि प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी। अनुबंधित टैंकर में ईंधन के रूप में डीजल का ही प्रयोग किया जावेगा। यदि वाहन ठेकेदार द्वारा घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस से वाहन चलाया जाता है, एवं शासन या अन्य संस्था द्वारा जांच में डीजल के स्थान पर घासलेट, मिलावटी डीजल या गैस पाया जाता है एवं इस कारण शासन द्वारा वाहन जप्त किया जाता है तो वाहन ठेकेदार को संकलन के लिये दुग्ध परिवहन हेतु इन्सुलेटेड टैंकर की व्यवस्था करना होगी। यदि संघ स्तर से टैंकर व्यवस्था स्थानीय बाजार से की जाती है, तो उसमें होने वाले अतिरिक्त व्यय की वसूली भी प्रथम पक्ष से की जावेगी तथा अनुबंध समाप्त एवं अमानत राशि राजसात की कार्यवाही भी की जा सकती है।
13. संघ के कार्य से संघ/संस्था के कर्मचारियों को आवश्यकता पड़ने पर वाहन में लाना एवं ले जाना होगा।
14. संघ से प्रदत्त सामग्री के अतिरिक्त अन्य कोई भी सामान/सवारी दुग्ध वाहन में नहीं लाई जावेगी यदि ऐसा करते हुए किसी दिन पाया जाता है तो आर्थिक दण्ड किया जावेगा।
15. प्रथम पक्ष द्वारा टैंकर पर जो कर्मचारी नियुक्त किये जावेंगे वे संघ के निर्देशानुसार कार्य करेंगे इनके द्वारा लापरवाही या अभद्र व्यवहार करने की दशा में संघ के आदेशानुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही करना होगी।
16. प्रथम पक्ष या उसके प्रतिनिधि द्वारा संघ के संचालक मण्डल के सदस्यों/संघ अधिकारियों/कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार किया जाता है, तो द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि आर्थिक दण्ड दे या प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दें।
17. प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध की शर्तों का निरंतर उल्लंघन करने या असंतोषजनक कार्य करते रहने या अनुबंध अवधि के पूर्व अनुबंध हस्तांतरण न करते हुए (हस्तांतरण शुल्क राशि रु. 5000.00 संघ में जमा) वाहन बंद करने अथवा संघ द्वारा आदेशित निर्देशों का पालन न करने की दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार रहेगा कि वह इस अनुबंध को निरस्त कर सुरक्षा राशि जप्त कर लें। इसके अतिरिक्त यदि इस कारण द्वितीय पक्ष को कोई हानि होती है, तो वह भी प्रथम पक्ष के देयक से वसूल कर लें।
18. चेकिंग के दौरान अथवा इस संबंध में प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर सही पाया जाता है कि वाहन कर्मचारियों द्वारा दूध में गडबडी, हेराफेरी, दूध निकालकर विक्रय करने या दूध पीते हुए पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की अनियमितता करते हुए पाये जाते हैं, तो अनुबंध अवधि की समस्त दूध कमी एवं इससे समिति/संघ को होने वाली हानि का देनदार प्रथम पक्ष रहेगा एवं अनुबंध निरस्त करने एवं अमानत राशि राजसात करने का अधिकारी द्वितीय पक्ष को होगा, साथ ही द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को 02 वर्ष हेतु प्रतिबंधित (ब्लेक लिस्टेड) किया जा सकेगा।
19. टैंकर पर कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध सहकारी/सरकारी कानून अनुसार की जाने वाली कार्यवाही की जवाबदारी प्रथम पक्ष की रहेगी एवं यदि इस कारण से संघ/संस्थाओं को कोई हानि होगी तो वह प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से काटी जावेगी।
20. प्रथम पक्ष हड़ताल/कार्यबन्दी नहीं करेगा एवं ना ही इसमें भाग लेगा यदि प्रथम पक्ष ऐसा करता है तो उससे होने वाली हानि अथवा द्वितीय पक्ष द्वारा जो भी दण्ड किया

जावेगा, उसके लिये प्रथम पक्ष जवाबदार रहेगा। साथ ही द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि इस कारण से प्रथम पक्ष का अनुबंध निरस्त कर दे एवं अमानत राशि राजसात कर लेवें।

21. डेरी परिधि के अंदर तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाये जावेंगे, डेरी परिधि में वाहन की साफ सफाई नहीं की जावेगी। डेरी परिधि में वाहन के कर्मचारी नहाने धोने जैसे कार्य नहीं करेंगे। यदि ऐसा किया जाता है तो संघ द्वारा जो निर्धारित दण्ड दिया जावेगा उसका प्रथम पक्ष देनदार रहेगा। इसके अतिरिक्त डेरी परिसर में अंदर आने के पश्चात् जब तक वह वाहनवापस खाली बाहर नहीं जाता है, तब तक वाहन कर्मचारी वाहन के साथ ही रहेंगे।
22. वाहन का स्पीडो मीटर एवं सेल्फ स्टार्टर हमेशा चालू रहेगा, यदि खराब हो जाता है, तो 24 घंटों में पुनः सुधरवाया जावेगा।
23. प्रथम पक्ष को दुग्ध वाहन पर द्वितीय पक्ष द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सूचनाये लिखवाना होगी एवं पत्र पेटी अपनी ओर से लगवाना होगी।
24. अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर हुई हानि की राशि तथा संघ/समितियों की लेनदारी राशियों को द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष की चल/अचल संपत्ति से यह राशि वसूल करने का अधिकार होगा, इसप्रकार से कीजाने वाली वसूली हेतु यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है तो उसके लिये भी प्रथम पक्ष ओर उसका उत्तराधिकारी जिम्मेदार रहेगा।
25. परिस्थिति वश अथवा आवश्यकता होने पर द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि, वह इस अनुबंध में यदि कोई नई शर्त को और सम्मिलित करना चाहे तो ऐसी शर्त पर परस्पर चर्चा कर जो निर्णय लिया जावेगा, वह प्रथम पक्ष को मान्य होगा।
26. प्रथम पक्ष अपना वारिस श्री/श्रीमती/कुं.
संबंध उम्र को पूर्ण होशोंहवास में नामांकित घोषित करता है। उसकी मृत्यु उपरांत श्री/श्रीमती/कुं. को संघ से व्यवहार करने का अधिकारी रहेगा।
27. अनुबंधकर्ता तथा अधिकृत अधिकारी के बीच मतभेद होने पर जो निर्णय संघ के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जावेगा वह प्रथमपक्ष को मान्य होगा।
28. संघ के कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संचालक मण्डल के सदस्यों में प्रथम पक्ष का कोई निकट का रिश्तेदार पति, पत्नि, पुत्री, सगे भाई बन्धु नहीं है यह तथ्य प्रथम पक्ष शपथ-पत्र पर प्रकट करेगा। अगर जाँच के दौरान उपरोक्त कथन असत्य पाया गया तो द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह यह अनुबंध निरस्त कर अमानत राशि जप्त कर लें।
29. प्रथम पक्ष द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के परिचय पत्र मय फोटो के बनवाये जावेगे। वह हर समय गाड़ी के साथ रहेंगे, एवं वाहन के साथ एक चालक व उसका एक सहायक रहेगा।
30. स्थानीय/मध्यप्रदेश शासन/भारत शासन द्वारा जो भी कर की दरें लागू की जावेगी वह वाहन अनुबंधकर्ता के परिवहन देयकों से काट ली जावेगी एवं उस राशि को शासकीय कोषालय में जमा की जाकर उसका प्रमाण-पत्र संघ द्वारा निविदाकर्ता को दिया जावेगा।

31. द्वितीय पक्ष को 30 दिन की पूर्व सूचना पर बिना कारण बताये अनुबंध समाप्त करने का अधिकार होगा, परन्तु उनके वाहन में नियुक्त कर्मचारियों के अवैधानिक अथवा अपराधिक कार्यों में सन्निहित होने की दशा में पुष्टि होने पर बिना पूर्व सूचना के अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा और इन परिस्थितियों में संघ द्वारा किसी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी जावेगी। द्वितीय पक्ष द्वारा इस इकरार नामा की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अधिकार होगा कि वे बिना पूर्व सूचना दिये इस इकरार नामा को निरस्त करने व इकरारनामा निरस्त करने की दशा में संघ को जो हानि होगी, उसकी समस्त जवाबदारी प्रथम पक्ष की होगी।
32. स्वीकृत दरें अनुबंध समाप्ति तक मान्य रहेगी, लेकिन अनुबंध अवधि में यदि डीजल दरों में कमी/वृद्धि होती है, तो ही अनुबंधित दर में कमी/वृद्धि की जावेगी दर में कमी/वृद्धि की गणना निम्नानुसार की जावेगी।

<u>क्रमांक</u>	<u>वाहन का प्रकार</u>	<u>औसत प्रति लीटर</u>
01.	इन्सुलेटेड टैंकर टाटा 407 एवं समान क्षमता का वाहन (3000 लीटर दूध)	12 कि.मी
02.	इन्सुलेटेड टैंकर 709 एवं समान क्षमता का वाहन (5000 लीटर दूध)	10 कि.मी
03.	इन्सुलेटेड टैंकर 909 एवं समान क्षमता का वाहन (6000 लीटर दूध)	8 कि.मी
04.	इन्सुलेटेड टैंकर 1109 एवं समान क्षमता का वाहन (7500 लीटर दूध)	7 कि.मी
05.	इन्सुलेटेड टैंकर 1612 एवं समान क्षमता का वाहन (9000 लीटर दूध)	6 कि.मी
06.	इन्सुलेटेड टैंकर 2213 एवं समान क्षमता का वाहन (13000 लीटर दूध)	5 कि.मी

डीजल के अतिरिक्त स्पेयस पार्टस, आइल तथा टायर ट्यूब आदि की दरों में वृद्धि होने पर अनुबंधित दरों में वृद्धि नहीं की जावेगी।

33. शीतकेन्द्रों/बी.एम.सी. समिति से दूध टैंकर को भरकर उसका सेम्पल परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि के सामने लेकर तथा तोलकर अथवा सत्यापित क्षमता के आधार पर दूध टैंकर को आवश्यक स्थानों में निर्धारित सील लगाकर तथा सीलों का नम्बर नोट कर एवं दुग्ध के सेम्पल का परिक्षण उक्त प्रतिनिधि के समक्ष करके उसे दिखाकर तदनुसार डिलेवरी चालान आदि बनाया जावेगा। जिस पर संबंधित प्राप्तकर्ता (वाहन चालक/क्लीनर) के हस्ताक्षर होंगे तथा उसे गेट पास दिया जावेगा।

परिवहनकर्ता के स्टॉफ का यह कर्तव्य होगा की वह दूध भरे टैंकर को लेकर निकलने के पूर्व सम्पूर्ण चीजे सुनिश्चित करें उसे निर्धारित स्थान उसी हालत में पहुँचाएँ एवं उसकी दूध मात्रा, फेंट एवं एस.एन.एफ. में कोई अंतर न आवे। दूध मात्रा, फेंट एवं एसएनएफ में अंतर प्राप्त होने पर इसकी वसूली परिवहनकर्ता से की जावेगी। उक्त अंतर लगातार प्राप्त होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार तत्काल प्रभाव से अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी, साथ ही हानि की प्रतिपूर्ति वाहनकर्ता से की जावेगी तथा उसे ब्लेक लिस्टेड किया जावेगा। नियमों का उल्लंघन एवं अन्य अनियमितता की दशा में संबंधित नम्बर के अनुबंधित एवं टैंकर एवं परिवहनकर्ता दोनों को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा। उसे देश/प्रदेश के अन्य दुग्ध संघों में भी परिवहन कार्य नहीं दिया जा सके, जिसकी सूचना अन्य दुग्ध संघों को तत्काल दी जावेगी।

दुग्ध शीत केन्द्रों के स्तर पर दूध तोलने का तौल कांटा स्थापित नहीं है, शीत केन्द्र स्तर पर समितियों से दूध तोलकर प्राप्त किया जाता है। तदनुसार ही रोड़ मिल्क टैंकर अनुमानित तौर पर भरा जावेगा। यदि परिवहनकर्ता को आपत्ति है तो स्वयं के व्यय पर तौल कार्य करवाकर दूध प्राप्त करना होगा।

उज्जैन डेयरी स्तर पर तौल कांटा स्थापित है। तौल कांटा अकार्यशील रहने की दशा में परिवहनकर्ता द्वारा संघ द्वारा निर्धारित तौल कांटे तौल कार्य करवाना होगा एवं निर्धारित रसीद उपलब्ध करवाने पर भुगतान किया जावेगा।

34. भविष्य निधि अधिनियम तथा कर्मचारी राज्य अधिनियम के अंतर्गत वाहन ठेकेदार द्वारा वाहन पर नियुक्त कर्मचारियों की केवल भविष्य निधि अधिनियम/कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान अनुसार परिवहनकर्ता को संबंधित विभाग से कोड नम्बर प्राप्त कर नियमित अंशदान करना अनिवार्य होगा अंशदान जमा न करने की दशा में प्रबंधन को यह अधिकार होगा की अंशदान की राशि वाहन ठेकेदार के देयको/अमानत राशि से वसूल कर जमा की जावेगी। जिसकी पूर्ण जवाबदारी परिवहनकर्ता की होगी इसी प्रकार श्रम अधिनियमों के अंतर्गत समस्त श्रम अधिनियमों के नियमों का पालन करने का दायित्व परिवहनकर्ता को होगा। परिवहनकर्ता को वाहन पर चलने वाले कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
35. प्रथम पक्ष द्वारा वाहन लगाने पर स्थाई लेखा संख्या (पेन नम्बर) की छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रेषित करना होगी। तत्पश्चात् ही परिवहन देयक की स्वीकृति की कार्यवाही द्वितीय पक्ष द्वारा की जावेगी।
36. प्रथम पक्ष को टैंकर परिवहन स्टॉफ के अधिकृत लायसेंस पुलिस सत्यापन पश्चात् छायाप्रति संघ कार्यालय को प्रस्तुत करना होगी।
37. टैंकर में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को परिवहन वर्जित होगा। दुग्ध परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबा/होटल/दुकान या मुख्य मार्ग से हटकर खड़ा नहीं होगा। अति आवश्यक होने पर ही टैंकर मेन रोड़ पर खड़ा किया जावेगा। वह भी अधिकतम 15 मिनीट हेतु।
38. खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 या अन्य वैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत आवश्यक होने पर लाईसेन्स वाहन संचालन के पूर्व संघ कार्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

39. प्रथम पक्ष द्वारा टैंकर की क्षमता आर.टी.ओ. से सत्यापन करवाया जावे एवं उसकी प्रति संघ कार्यालय को प्रस्तुत की जाए।
40. प्रथम पक्ष द्वारा वैधानिक आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति करना होगी।
41. प्रथम पक्ष द्वारा टैंकरों पर संघ का विज्ञापन पेंटिंग स्वयं के व्यय पर करना होगी।
42. बैरल का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक न हो।
43. दुग्ध संघ अपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न क्षमताओं के टैंकरो को एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर अथवा नवीन पुर्नगठित मार्ग पर टैंकर को चला सकता है एवं उसी अनुसार दूरी का भुगतान किया जावेगा।
44. प्रथम पक्ष द्वारा बी.एम.सी. मिल्क टैंकर वाहनों पर **GPS System** लगवाना आवश्यक होगा, साथ ही इसका मासिक सीम एवं रखरखाव का व्यय प्रथम पक्ष को वहन करना होगा, प्रथम पक्ष द्वारा **GPS System** नहीं लगवाया जाता है तो द्वितीय पक्ष द्वारा **GPS System** लगवाया जावेगा, जिसका सम्पूर्ण व्यय प्रथम पक्ष के परिवहन देयक से कटौत्रा किया जावेगा। यदि प्रथम पक्ष द्वारा **GPS System** से छेड़छाड़ कारन पर राशि रू. 50,000.00 की पेनल्टी तथा उक्त कृत्य की पुनरावृति होने पर अमानत राशि राजसात की जावेगी।
45. बी.एम.सी. टैंकर के वाहन चालक 18 वर्ष कम तथा बिना लाइसेंस के न हो प्रत्येक वाहन चालक से उसके लाइसेंस की प्रति अनिवार्यतः दुग्ध संघ में प्रथम पक्ष द्वारा जमा कराई जावें। वाहन चालकों का रिकार्ड/लाइसेंस की प्रति, पता/मोबाइल नं./प्रमाण पत्र/अनुभव आदि दुग्ध संघ में प्रस्तुत किये जावे, साथ ही संघ द्वारा निर्धारित गणवेश पहनना अनिवार्य होगा एवं पहचान पत्र बनाना आवश्यक होगा। इन पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन परिवहनकर्ता को करना होगा।
46. बी.एम.सी. टैंकर वाहन चालक/क्लीनर कर्मचारी मद्यपान कर के वाहन न चलाये ऐसे वाहन चालकों की प्रथम पक्ष द्वारा निरंतर चैकिंग की जाये तथा दोषियों को सेवा से पृथक किया जावे।
47. प्रथम पक्ष द्वारा यह सुनिश्चित हो की अनुबंधित वाहन की नियमित सर्विसिंग होवे एवं अनुरक्षण के अभाव में दुर्घटना या खराबी उत्पन्न न हो।

48. यदि टैंकर पर सील/सीलो में कोई टेम्परिंग पाई जाती तो दूध की मात्रा फैंट व एसएनएफ में अंतर आने पर भी इस स्थिति में 50,000.00 रू. का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
49. परिवहन निर्देशों में दूरी अनुसार अधिकतम परिवहन समय-सीमा में निर्धारित की गई है, उससे अधिक समय में टैंकर लाने पर अर्थदण्ड लगाया जावेगा, वहीं गुणवत्ता प्रभावित होने की स्थिति में हुई सम्पूर्ण क्षति की भरपाई परिवहनकर्ता के देयकों से की जावेगी।
50. दूध टैंकरों के सम्पूर्ण अनुरक्षण तथा दूध टैंकर के अनुरक्षण जैसे साफ सफाई, लिकेज, पेन्टिंग, लॉकिंग व्यवस्था इत्यादि व्यवस्थित रखना आवश्यक होगा। टैंकर के अन्दर की सफाई संघ द्वारा की जावेगी।
51. परिवहनकर्ता स्टॉफ को दुग्धालय परिसर में अच्छा आचरण एवं व्यवहार रखना होगा। किसी भी स्थिति में अभद्र आचरण दण्डनीय होगा। टैंकर एवं स्टॉफ को दुग्धालय परिसर में निर्धारित स्थान पर टैंकर खाली होने तक ही रूकने की अनुमति होगी तथा टैंकर खाली होने पर तत्काल टैंकर को अपने निर्धारित स्थान हेतु रवाना होना पड़ेगा। अन्यथा प्रति 01 घण्टे हॉल्टिंग का रूपये 5000.00 अर्थदण्ड लगेगा, जिसका मिलान सुरक्षा गेट के रजिस्टर से किया जावेगा।
52. टैंकरों को क्षमता के अनुसार R.T.O से सत्यापित होना आवश्यक है। दुग्ध बैरल बदलने हेतु उसकी पूर्व अनुमति कार्यालय से लेनी होगी, किसी भी दशा में पूर्व अनुमति के बिना टैंकर का बैरल बदला नहीं जावेगा। यदि बिना पूर्व अनुमति के परिवहनकर्ता द्वारा बैरल बदला जाता है तो ऐसे परिवहनकर्ता का अनुबंध निरस्त कर उसे कार्य से पृथक कर अमानत राशि राजसात करते हुए ब्लेकलिस्ट किया जावेगा, जिसका सम्पूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन दुग्ध संघ उज्जैन के पास सुरक्षित रहेगा, जो कि परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
53. परिवहन कार्य संघ द्वारा निर्धारित किये गये नियत मार्ग से करना होगा। अन्य मार्ग से टैंकर का आना जाना पाये जाने पर यह माना जावेगा कि टैंकर को दूध चोरी के उद्देश्य से मार्ग बदलकर परिवहन किया गया है। अतः तदनुसार आर्थिक एवं कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
54. संघ कार्यालय द्वारा टैंकरों की निगरानी हेतु गठित समिति के सदस्यों को परिवहनकर्ता के स्टॉफ पूर्ण सहयोग देना अनिवार्य होगा, अन्यथा संघ द्वारा कड़ी कारवाई की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।

55. दुग्ध परिवहनकर्ता के द्वारा टैंकर पर निम्नानुसार लिखवाना होगा। नहीं लिखवाने पर संघ द्वारा लिखवाये जाने पर होने वाले समस्त व्ययों का कटौत्रा परिवहनकर्ता के देयक से कर लिया जावेगा। जो परिवहनकर्ता पर बंधनकारी होगा।
टैंकर के पीछे दूध विक्रय हेतु नहीं है।
टैंकर के दोनो ओर यदि इस टैंकर से मार्ग पर दूध निकालते हुऐ दूध देखा जावे तो कृपया 7974010355, 9009076375 एवं पर सूचित करें।
56. स्वीकृत निविदाकार को परिवहन के दौरान आवश्यकता होने पर मांग अनुसार टैंकर समय पर उपलब्ध करवाना होंगे।
57. परिवहन के दौरान संघ द्वारा गठित निगरानी समिति, अन्य व्यक्ति प्रशासन एवं पुलिस द्वारा दूध की चोरी करते पकड़ा जाता है तो आर्थिक दण्ड रु. 1,00,000.00 के साथ-साथ सम्पूर्ण अनुबंध अवधि में दूध की मात्रा फेट एवं एसएनएफ आदि में हुई कमी का कटौत्रा संबंधित ठेकेदार के देयकों अथवा अमानत राशि से किया जावेगा। साथ ही वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से वाहन संचालन कार्य से हटाना अनिवार्य होगा। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुऐ उपरोक्त दण्ड बढ़ाया भी जा सकेगा इसके पश्चात भी यदि चोरी/हेरा-फेरी में लिप्तता पाई जाती है तो संबंधित परिवहनकर्ता एवं उसके वाहन चालक के विरुद्ध संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जावेगी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा जो परिवहनकर्ता को बंधनकारी होगा।
58. परिवहन के दौरान रास्ते में टैंकर किसी भी ढाबे या मुख्य मार्ग से हटकर किसी भी स्थान पर अनावश्यक खड़ा नहीं होगा तथा संघ द्वारा निर्धारित मार्ग से ही जाना होगा। यदि जीपीएस लोकेशन में यह पाया जाता है कि टैंकर शंकास्पद स्थान अथवा निर्धारित मार्ग से अलग स्थान पर खड़ा है अथवा परिवहन कर रहा है तो रु. 50000.00 का आर्थिक दण्ड किया जावेगा। किसी अत्यंत विशेष परिस्थिति में मार्ग बदलने पर उसकी सूचना संघ कार्यालय को देकर अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
59. देयक का भुगतान विलंबित होने पर कोई भी ब्याज देय नहीं होगा। परिवहनकर्ता को नियमित तौर पर देयक प्रस्तुत करना होंगे एवं यदि संघ की वसूली योग्य राशि निकलती है तो सात दिवस में उक्त राशि संघ कार्यालय में जमा कराई जाना होगी। देयक विलम्ब से प्रस्तुत करने एवं वसूली योग्य राशि जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में टैंकर का संचालन रोकते हुऐ वाहन को संयंत्र परिसर में खड़ा रखा जावेगा।
60. यह कि टैंकर मेंसील एवं लॉक करने के सभी पार्टस लगे हो ताकि टैंकर दूध वं दुग्ध पदार्थ लोड करने के पश्चात सील किया जा सके।

61. परिवहन के दौरान अनावश्यक विलंब होने पर उसे प्रति ट्रिप हेतु रू. 20000.00 का आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया जावेगा।
62. परिवहनकर्ता को एक कम्प्रीहेंसिव बीमा पॉलिसी वाहनों हेतु लेना अनिवार्य होगी। परिवहनकर्ता का दायित्व होगा की आर.टी.ओ. द्वारा निर्धारित टेक्स, फीस, ड्यूटीज समय पर जमा करें तथा वाहन चालक के पास निर्धारित लाईसेंस होना आवश्यक है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यदि कोई कमी पाई जाती है और दुर्घटना के कारण कोई नुकसान होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी परिवहनकर्ता की होगी।
63. समस्त न्यायालयीन कार्यवाही का कार्यक्षेत्र उज्जैन रहेगा।

मैं श्री/श्रीमती _____—प्रथम पक्षकार द्वारा अनुबंध की शर्तों का अवलोकन भली भांति एवं होशोहवास में कर लिया है एवं निम्न साक्षियों के समक्ष द्वितीय पक्ष से अनुबंध करता हूँ।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ताक्षर अनुबंधकर्ता (प्रथम पक्ष)

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ

नाम _____

मर्यादित, उज्जैन (द्वितीय पक्ष)

पिता/पति का नाम _____

पता _____

दूरभाष क्रं. _____

मोबाईल नम्बर _____

स्थाई लेखा संख्या पेन _____

अनुबंधकर्ता जमानतदार का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुबंधकर्ता गवाह का नाम एवं पता

हस्ताक्षर _____

हस्ताक्षर _____

01. नाम _____

01. नाम _____

पता _____

पता _____

मो0 नं. _____

मो0 नं. _____

आई.डी. प्रूफ _____

आई.डी. प्रूफ _____

02. नाम _____

02. नाम _____

पता _____

पता _____

मो0 नं. _____

मो0 नं. _____

आई.डी. प्रूफ _____

आई.डी. प्रूफ _____

नोट:- उपरोक्त अनुबंध पत्र अधोहस्ताक्षरी द्वारा अवलोकन कर सत्यापन किया गया।

प्रबंधक दुग्ध संयंत्र/शीत केन्द्र _____

सील सहित

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड, उज्जैन

दुग्ध संयंत्र रतलाम

क्रं.	मार्ग का नाम	संख्या	कि.मी./दर	अनुमानित क्षमता ली.	वांछित वाहन का प्रकार
1	मड़ावदा-बिड़वाल-रतलाम बी.एम.सी.	1	337.7 14.66 5000 ली. क्षमता (टाटा 709 की दर)	4000-5000	टाटा 709 एवं समान भार क्षमता का वाहन
2	मनुनिया-रतलाम बी.एम.सी.	1	247 13.52 5000 ली. क्षमता (टाटा 709 की दर)	4000-5000	टाटा 709 एवं समान भार क्षमता का वाहन

दुग्ध शीत केन्द्र शामगढ़

क्रं.	मार्ग का नाम	संख्या	कि.मी./दर	अनुमानित क्षमता ली.	वांछित वाहन का प्रकार
1	बोलिया-चंदवासा-शामगढ़ बी.एम.सी.	1	155 8.72 5000 ली. क्षमता (टाटा 709 की दर)	4000-5000	टाटा 709 एवं समान भार क्षमता का वाहन

नोट :-

- 01- दुग्ध समितियों में स्थापित बल्क मिल्क कूलर में अवरोध होने पर किसी भी वाहन को अनुबंधित दर पर उन बल्क मिल्क कूलर वाली समितियों में संकलन लाने हेतु भेजा जा सकेगा।
- 02- संयंत्र/शीत केन्द्र में अवरोध होने पर टैंकर को निकट के अन्य संयंत्र/शीत केन्द्र पर अनुबंधित दर पर भेजा जा सकेगा।
- 04- वर्ष 2016 या उसके बाद के मॉडल का वाहन ही निविदा में स्वीकार की जायेगी।
- 05- निविदा में वहीं निविदाकार भाग ले सकते हैं जिनका स्वयं के नाम का वाहन पंजीयन हो, साथ ही यदि निविदाकार के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं है तो नया वाहन क्रय हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने संबंधित नोटरी से मूल शपथ-पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा)

नया वाहन निर्धारित क्षमता का क्रय हेतु शपथ पत्र का प्रारूप

नाम :- _____
पिता :- _____
उम्र :- _____
धंधा :- _____
निवासी :- _____
आधार नं. :- _____
मोबाईल नं. :- _____

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि मेरे द्वारा बी.एम.सी. परिवहन की ई-निविदा जमा की गई है यदि संघ द्वारा मेरी ई-निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आवेदन अनुसार निर्धारित क्षमता का वाहन 15 दिवस में उपलब्ध कराऊंगा। यदि मेरे द्वारा समय-सीमा में वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी राजसात होती है तो उसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं रहेगी।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त तथ्य मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास से सत्य एवं सही है। इसमें कुछ भी असत्य नहीं लिखाया है और न ही कोई तथ्य छिपाया है।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

प्रारूप

काली सूची (ब्लेक लिस्टेड) शपथ-पत्र (नोटरी द्वारा)

मैंआत्मज..... उम..... निवासी.....
शपथग्रहिता शपथपूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि -

1. यह की मैं शपथकर्ता उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित उज्जैन (म.प्र.) में परिवहन कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं यह वचन प्रस्तुत कर रहा हूँ की मैं उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन (म.प्र.) के माननीय अध्यक्ष, संचालक, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी से मेरा पारिवारिक संबंध नहीं है।
2. यह की मेरे द्वारा प्रस्तुत वचन पत्र यदि भविष्य में गलत पाया जाता है तो दुग्ध संघ किसी भी समय मुझे आवंटित कार्य निरस्त कर जो भी कार्यवाही करेगा। उसे मानने के लिये बाध्य रहूंगा तथा इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं करूंगा।
3. यह की मध्य प्रदेश के किसी भी अन्य दुग्ध संघों द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं हूँ। तथा मुझे कभी भी ब्लेक लिस्टेड (काली सूची) में सम्मिलित नहीं किया गया है।
4. यह की मेरे द्वारा उक्त कथनों की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता यह सत्यापित करता हूँ कि मेरे द्वारा उक्त शपथ पत्र के चरण क्रमांक 01 से 04 में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। सत्यापन आज दिनांक को किया गया।

दिनांक -

स्थान -

हस्ताक्षर शपथग्रहिता _____

बी.एम.सी. दुग्ध परिवहन ई-निविदा हेतु तकनीकी योग्यता

निविदा

प्रस्तुतकर्ता

का फोटो

प्रति,
मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
उज्जैन

महोदय,

मैंने आपके कार्यालय की बी.एम.सी. दुग्ध परिवहन ई-निविदा क्रमांक 195 दिनांक 20.02.2020 पढ़ ली है। तदनुसार यह ई-निविदा स्वीकृत की जाती है, तो मैं आवश्यक रूप से बी.एम.सी. दुग्ध परिवहन अनुबंध करने को तैयार हूँ। ई.एम.डी. राशि रूपये 10,000.00 (अक्षरी रूपये दस हजार मात्र) ऑनलाईन भुगतान की प्रति स्केन कर ई-निविदा के साथ अपलोड करना होगा। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में वाहन नियत दिनांक एवं समय पर उपलब्ध कराऊँगा।

वांछित जानकारी निम्नानुसार है :-

01-वाहन स्वामी का नाम पिता का नाम

वारिस उम्र संबंध

02-वाहन का प्रकार.....वाहन क्रमांक.....मॉडलवर्ष.....पेन नं.....

03-वाहन का पंजीयन क्रमांक.....वाहन क्षमता.....

भार क्षमता मे.टन

04-बी.एम.सी. परिवहन मार्ग का पूरा नाम एवं रूट क्रमांक

05-अवधि दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 31.03.2022 तक तथा कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से 01 वर्ष (एक वर्ष) अनुबंध अवधि बढ़ाने का संघ को अधिकार प्रदान करता हूँ।

06-किसी दुग्ध संघ द्वारा काली सूची में नामित नहीं किया गया है इस संबंध में शपथ पत्र रू. 100.00 के स्टॉम्प पर नोटरी द्वारा सत्यापित पश्चात संलग्न करें।

07-यदि निविदाकार के पास वर्तमान में वाहन उपलब्ध नहीं है तो नया वाहन क्रय हेतु वाहन उपलब्ध कराये जाने संबंधित नोटरी से मूल शपथ-पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।

08-क्रमांक 02, 03, 06 एवं 07 से संबंधि वाहन के पंजीयन प्रपत्र की प्रतियां, ई.एम.डी.(ऑनलाईन प्रति), पेन कार्ड, आधार कार्ड, निविदा प्रपत्र के साथ स्केन कर अपलोड करें, साथ ही मूल प्रति एवं स्केन किये गये प्रपत्रों की छायाप्रति भौतिक रूप से बंद लिफाफे में संघ कार्यालय में जमा करावें। जिनके नाम से वाहन पंजीकृत है उनका पासपोर्ट साईज का फोटो भी आवेदन पत्र पर चस्पा किया जाना अनिवार्य है।

नोट :- वर्ष 2016 या उसके बाद के वाहनों की निविदा ही स्वीकार की जावेगी, साथ ही निविदा फार्म में संघ के अनुबंध की शर्तें पूर्णतः मान्य है।

मैं घोषित करता/करती हूँ कि, उपरोक्त अनुसार क्रमांक 01 से 08 तक सत्य है। मुझे संघ की सभी शर्तें एवं नियम मान्य है, अगर दी गई जानकारी त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो संघ का अंतिम निर्णय मुझे मान्य होगा।

निविदा प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

निविदाकार पूरा नाम

पता.....

पेन न. मोबाइल नम्बर

आधार न.

हस्ताक्षर निविदा कमेटी सदस्य

01----- 02 ----- 03----- 04 ----- 05 ----- (6) ----- (7) ----- (8) -----